श्री वाई. के. भाटिया ***बनाम*** हरियाणा राज्य आदि (चिन्नप्पा रेड्डी, जे)

पूर्ण बेंच

सिविल विविध

न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी, प्रेम चंद जैन और एम आर शर्मा के समक्ष।

श्री वाई के भाटिया, - याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य, आदि - उत्तरदाता।

1976 की सिविल रिट संख्या 127।

23 सितंबर, 1976।

भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 16 - अस्थायी रूप से किसी पद पर नियुक्त या अस्थायी रूप से उच्च पद पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारी - ऐसे कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति या प्रत्यावर्तन, जबकि उसके कनिष्ठों को जारी रखने की अनुमति है - अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हो।

यह माना गया कि एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(1) का उल्लंघन नहीं करती है क्योंकि उसके कनिष्ठों को सेवा में बनाए रखा जाता है और अस्थायी रूप से उच्च पद पर पदोन्नत किए गए सरकारी कर्मचारी का प्रत्यावर्तन भी अनुच्छेद 16(1) का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि उसके कनिष्ठ भी प्रत्यावर्तित नहीं होते हैं। बेशक, यह व्यक्तिगत मामलों में प्रभावित व्यक्तियों के लिए भेदभावपूर्ण उपचार स्थापित करने के लिए खुला होगा, जिसे 'कानून में दुर्भावना' या 'वास्तव में दुर्भावना' के आधार पर समझाया नहीं जा सकता है। 'कानून में दुर्भावना' या 'वास्तव में दुर्भावना' के किसी भी सुझाव के बिना, किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्ति या प्रत्यावर्तन के आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 16(1) की सहायता को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है, केवल इसलिए कि जूनियर जारी हैं।

(पैरा 5)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में प्रार्थना की

गई है कि प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए सर्टिओरारी, मंडमस या कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी किया जाए: -

(i) मामले के पूर्ण रिकॉर्ड का उत्पादन करने के लिए;

(ii) दिनांक 18 दिसम्बर, 1975 के आदेश में कहा गया है, "दिनांक 30 दिसम्बर, 1975 के पत्र सं. 7609/ईसीएम के माध्यम से अनुलग्नक 'पी-2' को निरस्त किया जाए;

(iii) यह घोषित किया जाए कि याचिकाकर्ता सेवा में बना हुआ है और बकाया, और वेतन, आदि की प्रकृति में सभी परिणामी राहतों का हकदार है;

(iv) समय की भारी कमी के कारण याचिकाकर्ता प्रस्ताव की सूचना देने की स्थिति में नहीं है, इस प्रकार यह प्रार्थना की जाती है कि इसे हटा दिया जाए;

(v) याचिकाकर्ता को 'पी -1' और 'पी -2' पर अनुलग्नक की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जाए ;

(vi) यह माननीय न्यायालय कोई अन्य आदेश पारित कर सकता है जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझता है;

(vii) इस याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील जी. सी. गुप्ता के साथ एडवोकेट जे. एल. गुप्ता।

उत्तरदाताओं की ओर से वरिष्ठ उप महाधिवक्ता एच. एन. मेहतानी।

निर्णय

(1) न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी - ये तीन रिट याचिकाएं (1976 की सीडब्ल्यूपी संख्या 127, 29 और 2236) एक आम सवाल उठाती हैं, कि क्या अस्थायी रूप से किसी पद पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति या अस्थायी रूप से उच्च पॉश में पदोन्नत किए गए कर्मचारी की प्रत्यावर्तन संविधान के अनुच्छेद 16(1) का उल्लंघन करता है, यदि उसके कनिष्ठ, अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए भी, सेवा में जारी रखे जाते हैं, या यदि उनके जूनियर, जिन्हें

अस्थायी रूप से पदोन्नत किया जाता है, को उच्च पदों पर जारी रखा जाता है। विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 16(1) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार न केवल प्रारंभिक भर्ती के चरण में उपलब्ध है, बल्कि रोजगार के आकस्मिक सभी चरणों जैसे पदोन्नति, प्रत्यावर्तन, सेवा की समाप्ति आदि पर उपलब्ध है। उन्होंने आग्रह किया कि 'आखिरी आओ, पहले जाओ' का नियम अनिवार्य रूप से 'फेयरप्ले' का एक नियम है, जिसे कानून द्वारा सरकारी रोजगार में उतना ही पालन किया जाना आवश्यक है जितना कि औद्योगिक रोजगार में। यदि पर्याप्त स्पष्टीकरण के बिना नियम को हटा दिया गया था और एक वरिष्ठ अस्थायी कर्मचारी की सेवाओं को अपने कनिष्ठों को बनाए रखते हुए समाप्त कर दिया गया था, तो संविधान के अनुच्छेद 16(1) द्वारा गारंटीकृत अवसर की समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन था। वकील के अनुसार, जब भी किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त किया जाना था, तो सेवा में बनाए रखने के लिए सभी अस्थायी कर्मचारियों के दावों पर विचार किया जाना था और उसके बाद ही यह निर्धारित किया जाना था कि किसे जाना है। श्री जवाहर लाल ने कतिपय निर्णयों पर भरोसा किया जिनका हम वर्तमान में उल्लेख करेंगे।

(2) लोक सेवकों से संबंधित कानून में औद्योगिक कानून से 'आखिरी आओ, पहले जाओ' के सिद्धांत को कभी-कभार आयात करने से एक निश्चित मात्रा में भ्रम पैदा हुआ है। औद्योगिक कानून का प्राथमिक हित औद्योगिक शांति सुनिश्चित करना है। श्रम अशांति का एक लगातार कारण छंटनी की आड़ में कर्मचारियों का उत्पीड़न है, 'आखिरी आओ, पहले जाओ' का नियम विकसित किया गया है। लोक सेवकों से संबंधित कानून का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक सेवा में दक्षता हासिल करना है, सार्वजनिक हित में सेवा की जानी है। इस प्रकार औद्योगिक कानून के लक्ष्यों और लोक सेवकों से संबंधित कानून के बीच एक बुनियादी अंतर है। इसलिए लोक सेवकों से

संबंधित कानून में औद्योगिक कानून में लागू सिद्धांतों को सख्ती से आयात करना सही नहीं होगा, भले ही वे कितने भी हितकारी क्यों न हों। 'आखिरी आओ, पहले जाओ' नियम, जिसे औद्योगिक कानून में इतनी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है, निस्संदेह एक अच्छा नियम है। इसे लोक सेवकों पर भी लागू करना शायद वांछनीय है। वास्तव में, बहुत बार यह इतना लागू होता है। लेकिन यह कहना एक बात है कि दी गई स्थितियों में 'आखिरी आओ, पहले जाओ' के नियम को लागू करना वांछनीय है और यह अक्सर लागू होता है, यह कहना काफी अलग बात है कि नियम को लागू करने में विफलता अनुच्छेद 16(1) के तहत समान अवसर से वंचित करने के आवश्यक निष्कर्ष की ओर ले जाती है। ऐसा कहना नियम को सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम तक बढ़ाना होगा, जो कि ऐसा नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने *रामास्वामी* बनाम *पुलिस* महानिरीक्षक (1) के *मामले* में कुछ अलग नहीं कहा, जिस पर श्री जवाहर लाल गुप्ता ने काफी भरोसा जताया। विद्वान वकील ने जिन टिप्पणियों पर भरोसा किया वे इस प्रकार थे:-

> पीठ ने कहा, "इसलिए नियम (मैसूर वरिष्ठता नियम के नियम 2) को स्पष्ट रूप से 'आखिरी आओ, पहले जाओ' के सिद्धांत के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसके साथ कोई भी औद्योगिक कानून में परिचित है। यहाँ तक कि इसलिए, यह स्वीकार किया जा सकता है कि जब लोक सेवा की अनिवार्यताओं के कारण प्रत्यावर्तन होता है तो सामान्य सिद्धांत यह है कि स्पष्ट या दीर्घकालिक रिक्तियों में कार्य करने वालों में से सबसे कनिष्ठ व्यक्तियों को आम तौर पर प्रतिनियुक्ति या छुट्टी आदि से वापस आने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के लिए रिक्तियां बनाने के लिए वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा, आमतौर पर कार्यवाहक आधार पर पदोन्नति आमतौर पर वरिष्ठता के अनुसार होती है, पदोन्नति के लिए फिटनेस के अधीन,

सबसे कनिष्ठ व्यक्ति को आमतौर पर पदोन्नत किया जाता है। यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों, जैसा कि वर्तमान मामले में है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां ऐसे मामलों में सामान्य प्रथा से संबंधित तथ्यों के बयानों से अधिक नहीं थीं। उन्हें कानून के बयानों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट केवल यह कह रहा था कि हालांकि 'आखिरी आओ, पहले जाओ' का नियम कानून का शासन नहीं है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर व्यवहार में इसे आम तौर पर देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने न तो इस नियम को कानून के शासन के रूप में पवित्र किया और न ही इसका पालन न करने को अनुच्छेद 16(1) का उल्लंघन घोषित किया।

(3) श्री जवाहर लाल ने मैसूर राज्य बनाम *कुलकर्णी (2) और* उत्तर प्रदेश राज्य *बनाम* सुघर सिंह *(3) पर बहुत अधिक भरोसा किया*। पहले मामले में, जिसका निर्णय रे, सीजे और न्यायमूर्ति बेग द्वारा किया गया था, तथ्यों के आधार पर यह पाया गया था कि जो अधिकारी प्रतिवादियों से कनिष्ठ और कम मेधावी थे, उन्होंने सरकार के मन में एक निश्चित गलतफहमी के कारण उन पर हमला किया था। इसलिए, प्रतिवादियों के प्रत्यावर्तन के आदेश को कानूनी रूप से असंगत आधार पर आधारित और अनुच्छेद 16(1) का उल्लंघन माना गया था। इस फैसले से याचिकाकर्ता को कोई फायदा नहीं होगा। दूसरे मामले में, जिसका निर्णय न्यायमूर्ति मैथ्यू और न्यायमूर्ति बेग द्वारा किया गया था, जैसा कि विद्वान न्यायाधीशों ने स्वयं कहा था, तथ्य बहुत ही विचित्र थे। लगभग 200 अधिकारियों के एक समूह में से, जिनमें से अधिकांश सुघर सिंह से जूनियर थे, उन्हें अकेले किसी प्रशासनिक कारण से नहीं, बल्कि उनके गोपनीय चरित्र रोल में की गई प्रतिकूल प्रविष्टि के कारण वापस कर दिया गया था।

(एक) ए.आई.आर. 1974 पी.बी. और हरियाणा 279

श्री वाई. के. भाटिया ***बनाम*** हरियाणा राज्य आदि (चिन्नप्पा रेड्डी, जे)

(दो) 1972 एस.एल.आर.

(तीन) 1974 (1) एसएलआर 435।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर यह पाया गया कि प्रत्यावर्तन वास्तव में सजा का एक उपाय था जो अनुच्छेद 311 की आवश्यकताओं का पालन किए बिना लगाया गया था। कुछ टिप्पणियां यह भी की गईं कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हुआ है। यह कहा गया था:-

> पीठ ने कहा, "प्रतिवादी के वकील ने इसके बाद दूसरे आधार पर प्रत्यावर्तन के आदेश को चुनौती दी। उन्होंने बताया कि कम से कम 200 हेड कांस्टेबल, जिन्होंने प्रतिवादी के बाद सीतापुर में सशस्त्र पुलिस के कैडेट उप-निरीक्षकों के रूप में प्रशिक्षण लिया था और जो प्रतिवादी से जूनियर थे, उन्हें अभी भी उप-निरीक्षक के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति बनाए रखने की अनुमति दी गई है और उन्हें हेड कांस्टेबल के अपने मूल पद पर वापस नहीं लाया गया है। जब तक इसे सजा के उपाय के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता है, प्रतिवादी का प्रत्यावर्तन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के उल्लंघन में भेदभाव के समान होगा। जिन तथ्यों पर यह विवाद आधारित है, वे याचिका के पैराग्राफ 7 और 20 में पाए जाते हैं। विवाद स्वयं रिट याचिका के आधार संख्या 3 में पाया जाना है। हमें कहना होगा कि शिकायत वह है जिसे बनाए रखा जाना चाहिए। भेदभाव के इस चरम रूप में कोई संभावित स्पष्टीकरण हमें नहीं दिखाया गया है। दरअसल, उच्च न्यायालय में याचिका की सुनवाई करने वाले तीसरे विद्वान न्यायाधीश के फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में, राज्य की ओर से पेश स्थायी वकील ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्यावर्तन का आदेश अपीलकर्ता के

गोपनीय चरित्र रोल में की गई प्रतिकूल प्रविष्टि का परिणाम था। यदि विद्वान स्थायी वकील के इस कथन को स्वीकार किया जाना है, तो इस सुझाव का विरोध करना असंभव है कि प्रतिवादी का प्रत्यावर्तन का आदेश वास्तव में छद्म रूप से सजा का आदेश था, जिस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 311 की आवश्यकताओं का पालन न करने के लिए आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए। अपीलकर्ता वास्तव में एक दुविधा का सामना करता है। यदि यह सजा का मामला नहीं था, तो यह समझाना मुश्किल हो जाता है कि प्रतिवादी के खिलाफ कम से कम 200 अन्य अधिकारियों के साथ यह भेदभाव क्यों किया गया था, जो मूल कैडर में उससे जूनियर थे। इससे आदेश को संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन मानते हुए निरस्त किया जा सकता है। संदर्भ मैसूर राज्य बनाम *मैसूर राज्य को दिया जा सकता* है। *पी. आर. कुलकर्णी और अन्य* (2) *ने पूर्वोक्त* में कहा कि इस न्यायालय द्वारा "अनुचित भेदभाव" के आधार पर प्रत्यावर्तन के आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसने आदेश को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की शरारत के भीतर लाया। इस मामले में हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि लगभग 200 अधिकारियों के समूह में से, जिनमें से अधिकांश प्रतिवादी से जूनियर हैं, की विशिष्ट परिस्थितियों में, अकेले प्रतिवादी को हेड कांस्टेबल के मूल पद पर वापस कर दिया गया है, यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि अपीलकर्ता की ओर से किसी भी समय कोई सुझाव नहीं दिया गया था कि पद को समाप्त कर दिया गया था या प्रतिवादी था, प्रशासनिक कारणों से, हेड

कांस्टेबल के अपने स्वयं के पद पर वापस जाने की आवश्यकता है। यह परिस्थिति केवल उस बात की पुष्टि करती

है जो राज्य के स्थायी वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि प्रत्यावर्तन के आदेश का आधार उनके चरित्र रोल में की गई प्रतिकूल प्रविष्टि है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमें कोई संदेह नहीं है कि आदेश सजा के माध्यम से पारित किया गया था, हालांकि सभी बाहरी संकेत आदेश को केवल प्रत्यावर्तन का आदेश दिखाते हैं। अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी हमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन के आधार पर आदेश रद्द किया जा सकता है।

(4) सतही तौर पर, टिप्पणियां श्री जवाहर लाल की प्रस्तुति को कुछ समर्थन देती प्रतीत होती हैं। बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि वे ऐसा नहीं करते हैं और वे उस मामले के 'अजीबोगरीब' तथ्यों के संबंध में बनाए गए थे। सौभाग्य से, हम उन टिप्पणियों को समझाने की जिम्मेदारी से मुक्त हैं। न्यायमूर्ति बेग, जो इस निर्णय के पक्षकार थे, ने स्वयं निर्णय और क्षेत्रीय *प्रबंधक बनाम पवन कुमार* (4) न्यायमूर्ति बेग में टिप्पणियों की व्याख्या की है।

"एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो अलग-अलग मामलों में निष्कर्षों के बीच अंतर कर सकता है, भले ही समान सिद्धांत प्रत्येक मामले में समान तथ्यों पर लागू हों।

फिर सुघर सिंह के मामले *के तथ्यों का उल्लेख करते हुए,* न्यायमूर्ति बेग ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

"मामले के इस दृष्टिकोण पर इस न्यायालय के लिए यह विचार करना वास्तव में आवश्यक नहीं था कि क्या सुघर सिंह का प्रत्यावर्तन अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के भी विपरीत था।

(4) ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 1766

फिर भी, इस न्यायालय ने वैकल्पिक रूप से मैसूर राज्य *बनाम पी* आर *कुलकर्णी* (5) को संदर्भित करने के बाद कहा कि सुघर सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों का भी उल्लंघन हुआ है। सुघर सिंह के मामले (सुप्रा) के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस न्यायालय के साथ जो बात थी, वह केवल यह नहीं थी कि सुघर सिंह को एक कथित गलत काम के लिए वापस करने में पर्याप्त "सजा का तत्व" था, जिससे प्रत्यावर्तन के आदेश को अलग नहीं किया जा सकता था, ताकि अनुच्छेद 311 (2) का अनुपालन किया जा सके। लेकिन, सुघर सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई में एक बहुत ही बासी कारण के लिए पर्याप्त अनौचित्य और अनुचितता भी थी, जो तार्किक रूप से "कानून में दुर्भावना" का मामला बनाने के लिए काफी डिस्कनेक्ट हो गई थी, भले ही यह "वास्तव में दुर्भावना" का मामला न हो। यदि कोई प्राधिकारी न्यायपूर्ण और तार्किक रूप से बाहरी आधारों पर कार्य करता है, तो यह ऐसा मामला होगा। इस मामले के इन सभी पहलुओं को इस न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा गया था जब उसने निष्कर्ष दर्ज किया था। पीठ ने कहा, 'इस मामले को देखते हुए हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदेश सजा के तौर पर पारित किया गया था, हालांकि सभी बाहरी संकेत इस आदेश को महज प्रत्यावर्तन का आदेश बताते हैं. अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी हमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन के आधार पर आदेश रद्द किया जा सकता है।

श्री वाई. के. भाटिया ***बनाम*** हरियाणा राज्य आदि (चिन्नप्पा रेड्डी, जे)

(5) ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 2170.

> हमें नहीं लगता कि सुघर सिंह का मामला (एआईआर 1974 एससी 423) किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 311 (2) या संविधान के अनुच्छेद 16 पर इस न्यायालय द्वारा पहले निर्धारित किए गए सिद्धांतों के विपरीत है। तथापि, हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि अनुच्छेद 16 का किसी कार्रवाई द्वारा उल्लंघन *किए जाने से पहले एक सरकारी कर्मचारी और दूसरे के बीच भेदभाव का स्पष्ट प्रदर्शन होना चाहिए, जिसे "कानून में दुर्भावना" या "*वास्तव में दुर्भावना" की धारणा या प्रदर्शन के अलावा यथोचित रूप से समझाया नहीं जा सकता है। जैसा कि हमने समझाया है, कानूनी रूप से असंगत या स्पष्ट रूप से गलत कार्रवाई के आधार पर कार्य करना "कानून में दुर्भावना" का मामला होगा। कानून में दुर्भावना के किसी भी सुझाव के बिना, या वास्तव में, प्रशासनिक अनिवार्यताओं के परिणामस्वरूप पारित प्रत्यावर्तन के आदेश सुघर सिंह के मामले (सुप्रा) से अप्रभावित हैं। *उन्हें केवल इसलिए परेशान नहीं किया गया है कि कुछ अन्य सरकारी कर्मचारियों, जो मूल रैंक के जूनियर हैं, को वापस नहीं किया गया है।*

विद्वान न्यायाधीश ने तत्पश्चात् एस सी *आनंद* बनाम *भारत संघ* (6) का उल्लेख किया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 14 या 16 को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है, जहां सेवा की समाप्ति सेवा के अनुबंध के संदर्भ में थी और *चंपकलाल चिमन लाल शाह* बनाम *भारत संघ* (7), जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति का प्रावधान करने वाला नियम अनुच्छेद 16 द्वारा प्रभावित नहीं था।

(6) ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 250

(7) ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 1854

(5) क्षेत्रीय प्रबंधक बनाम पवन कुमार में निहित कानून के स्पष्ट कथन के प्रकाश में और सुघर सिंह के मामले में जो स्पष्टीकरण दिया गया था, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए अन्य मामलों का उल्लेख करना वास्तव में आवश्यक नहीं है। पीठ ने कहा, "हालांकि, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि न्यायमूर्ति बेग के फैसले में हमारे द्वारा रेखांकित वाक्य भारत *संघ* बनाम *पांडुरंग काशीनाथ मोरे* (8) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले कही गई बातों की प्रतिध्वनि है। उस मामले में, उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी की थी -

"सेवा की समाप्ति की मनमानी और भेदभावपूर्ण प्रकृति, हालांकि, अनुच्छेद को लागू करने से पहले पहले स्थापित किया जाना चाहिए। मामले में सामने आए सबूतों से जो कुछ भी दिखाई देता है, वह यह है कि यह कि प्रतिवादी से कनिष्ठ कई कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखा गया था, जबकि उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। यह, हमारे विचार में, भेदभाव स्थापित करने के लिए पूरी तरह से व्यर्थ है। इन परिस्थितियों में, यह तथ्य कि प्रतिवादी की सेवा समाप्त कर दी गई थी, जबकि उससे जूनियर कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखा गया था, अपने आप में असमान व्यवहार साबित नहीं करता है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर प्रतिवादी ने भेदभाव स्थापित करने के लिए भरोसा किया हो। हम भारत संघ *बनाम* प्रेम प्रकाश मिधा *(9) का भी उल्लेख कर सकते* हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी: -

"जिला अदालत ने यह भी माना कि जब प्रतिवादी की सेवा समाप्त कर दी गई थी और उससे कनिष्ठ अधिकारियों को सेवा में बनाए रखा गया था, तो प्रतिवादी को संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक सेवा करने के समान अवसर से वंचित कर दिया गया था।

(8) ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 630

श्री वाई. के. भाटिया ***बनाम*** हरियाणा राज्य आदि (चिन्नप्पा रेड्डी, जे)
(9) 1969 एस.एल.आर

लेकिन संविधान के अनुच्छेद 16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए विचार का समर्थन करता हो। अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिक राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में अवसर की समानता के हकदार हैं। केवल प्रतिवादी के रोजगार को समाप्त करके, प्रतिवादी को सार्वजनिक सेवा रखने के समान अवसर से वंचित नहीं किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत यह मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है कि एक व्यक्ति जो राज्य का कर्मचारी है, सेवा में बने रहने का हकदार होगा और जब तक उससे कनिष्ठ व्यक्ति सेवा में रहेंगे, तब तक उसका रोजगार समाप्त नहीं होगा"।

राज कुमार *बनाम* भारत संघ और *अन्य (10) के एक अन्य मामले में,* सुप्रीम कोर्ट ने कहा: -

> पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका में केवल दो सवाल उठाए हैं। एक यह है कि उनसे कनिष्ठ कुछ व्यक्तियों को सेवा में जारी रखा गया है, जबकि उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है और यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। - अपीलकर्ता की सेवाओं का उल्लंघन सेवानिवृत्ति के आधार पर नहीं किया गया था। इसलिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब संबंधित नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जो संबंधित अधिकारियों को बिना कोई कारण बताए उनकी अस्थायी सेवा समाप्त करने में सक्षम बनाते हैं, तो अदालत उस कारण पर गौर नहीं करेगी जिसके कारण अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त किया गया था।
>
> (10) 1975 (1) एसएलआर 775

(6) इस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई घोषणाओं की प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए, हम विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों का उल्लेख करना अनावश्यक मानते हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान श्री जवाहर लाल गुप्ता ने आकर्षित किया था।

हमारा दृढ़ मत है कि एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति संविधान के अनुच्छेद 18(1) का उल्लंघन केवल इसलिए नहीं करती है क्योंकि उसके कनिष्ठों को सेवा में बनाए रखा जाता है और अस्थायी रूप से उच्च पद पर पदोन्नत किए गए सरकारी कर्मचारी का प्रत्यावर्तन भी अनुच्छेद 16(1) का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि उसके कनिष्ठों को भी वापस नहीं किया जाता है। किसी भी अन्य निष्कर्ष से केवल भ्रम की स्थिति पैदा होगी क्योंकि एक राज्य में हजारों अस्थायी कर्मचारी हो सकते हैं और इस बात पर जोर देना कि किसी भी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने से पहले या अस्थायी रूप से पदोन्नत किए गए किसी भी व्यक्ति को वापस करने से पहले सभी अस्थायी कर्मचारियों के तुलनात्मक गुणों पर विचार किया जाना चाहिए, असंभव से पूछना होगा। बेशक, यह व्यक्तिगत मामलों में प्रभावित व्यक्तियों के लिए भेदभावपूर्ण उपचार स्थापित करने के लिए खुला होगा, जिसे 'कानून में दुर्भावना' या 'वास्तव में दुर्भावना' के आधार पर समझाया नहीं जा सकता है। 'कानून में दुर्भावना' या 'वास्तव में दुर्भावना' के किसी भी सुझाव के बिना, किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्ति या प्रत्यावर्तन के आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 16(1) की सहायता को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जूनियर कर्मचारी जारी हैं।

श्री जवाहर लाल गुप्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि एक वरिष्ठ अस्थायी कर्मचारी को उसके कनिष्ठों को वापस किए बिना प्रत्यावर्तन के आदेश को आवश्यक रूप से दंडात्मक परिणामों वाले आदेश के रूप में लेबल किया जाना चाहिए और इसलिए इसे संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाना चाहिए। इस चरम अधीनता के लिए कोई आधार नहीं है। पी सी *वाधवा* बनाम *भारत संघ* (11) मामले में निर्णय, जिस पर श्री गुप्ता ने भरोसा किया था, इस निवेदन का समर्थन नहीं करता है।

(11) ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 423.

न्यायमूर्ति बेग ने *क्षेत्रीय प्रबंधक* बनाम *पवन कुमार* मामले में फैसले के पैराग्राफ 12 में जिन मामलों में संज्ञान लिया है, उनमें से सभी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस दलील के खिलाफ हैं। हमें इस दलील को खारिज करने में कोई हिचक नहीं है।

(8) 1976 के सीडब्ल्यूपी संख्या 2236 में, श्री कुलदीप सिंह ने तर्क दिया कि जबकि याचिकाकर्ता के कनिष्ठों की सेवाओं को उच्च पदों पर नियमित किया गया था, याचिकाकर्ता को वरिष्ठ पद पर नियमितीकरण के लिए उसके दावे के बिना वापस कर दिया गया था। प्रतिवादियों की ओर से दाखिल रिटर्न में इसका खंडन किया गया है, जहां यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के मामले पर अन्य लोगों के साथ विचार किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था। श्री कुलदीप सिंह के निवेदन में कोई दम नहीं है।

(9) तीन रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन, मैं सहमत हूं।

न्यायमूर्ति एम के शर्मा - मैं भी सहमत हूं।

एन.के.एस.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

श्री वाई. के. भाटिया ***बनाम*** हरियाणा राज्य आदि (चिन्नप्पा रेड्डी, जे)

फ़रीदाबाद, हरियाणा